कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
गुण नियंत्रण (सिचांई सृजन) प्रमंडल,भागलपुर।

eequalitycon.div.bhagalpur@gmail.com

पत्रांक......111....../भागलपुर, दिनांक......24/03..../2026

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–01/2025–2026

गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, भागलपुर के अधीन योजनाओ के अनुश्रवण एवं निरीक्षण तथा उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु भाड़े पर (01) एक अद्द वाहन बोलेरो (Non-AC)(चालक सहित, ईधन रहित) वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिको/ वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म से मुहरबंद लिफाफा में कोटेशन के शर्तो के साथ कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्यन्वित अवधि	अद्द	वाहन के प्रकार	अभियुक्ति
01	एकरारनामा की तिथि से 31.03. 2027 तक	01 अद्द	बोलेरो(Non-AC)	—

1. कोटेशनदाता का पदनाम एवं पताः–कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, भागलपुर।
2. कोटेशन आमंत्रण की तिथिः– दिनांक–24.03.2026
3. कोटेशन जमा करने की अवधिः–24.03.2026 से 04.04.2026 के अपराह्न 3 बजे तक।
4. कोटेशन खोलने की तिथि समय :– 06.04.2026 को अपराह्न 4 बजे।
5. कोटेशन खोलने की स्थानः– गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, भागलपुर मे।
6. कार्य विवरण तथा नियम एवं शर्तेः– अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

24.03.2026

कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, भागलपुर।

कोटेशन पर वाहन रखने की शर्तें निम्नवत् हैः—

1. वर्तमान में दिनांक 31.03.2027 तक के लिए आपूर्ति वाहन का एकरारनामा रू0 1000.00 के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा जो वाहन मालिक/सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
2. भाड़े पर वाहन क्रमांक 01 पर अंकित अवधि तक के लिए लिया जायेगा।
3. वाहन का निबंधन बिहार राज्य में व्यावसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए।
4. वाहन का वैध निबंधन(वाणिज्य) बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदुषण प्रमाण पत्र परिचालन के दौरान अद्यतन होना चाहिए।
5. वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का जी0 एस0 टी0 निबंधन होना अनिवार्य है।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है।
7. वाहन का दैनिक रख रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, सौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/ वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/फर्म द्वारा किया जाएगा।
8. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक ही होगी।
9. वाहन की चोरी या दुर्घटना तथा अन्य क्षति होने पर चालक सहित वाहन की जिम्मेदारी वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/फर्म की होगी।
10. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारन वाहन मालिक की जवाबदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगें जिसके आधार पर भाड़े का भुगतान किया जायेगा।
11. वाहन का चालक सहित (ईंधन रहित) मासिक न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जाएगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा।
12. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
13. वाहन का किराया जिला पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक–845, दिनांक–06.10.2025 द्वारा निर्धारित अधिकतम उच्चतरदर बोलेरो रूपये 24000.00 (चौबीस हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह में से न्यूनतम दर स्वीकार होगा
14. विभाग से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत ही कार्यलय द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
15. वाहन का मॉडल 2018 से पहले का नही होना चाहिए तथा वाहन अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए।
16. वाहन का उपयोंग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/फर्म द्वारा निजी अथवा अन्य व्यावसयिक कार्यो में नही किया जायेगा।
17. वाहन उपयोंग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारीयों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में विना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नही जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें। अगर वे ऐसा नही करते है तो उस दिन का भाड़ं का भुगतान नहीं किया जायेगा।
18. सेवा असंतोषजनक रहने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कार्यपालक अभियंता गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल भागलपुर को बिना कारण बताये एकरारनामा रद्द करने का अधिकार होगा।
19. ईच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 18 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र एवं क्रमांक 03,04,05 एवं 06 से संबंधित. कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ कोटेशन दिनांक–24.03.2026 से 04.04.2026 के अपराह्न 03 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफे में समर्पित करेंगे।
20. एक से अधिक समान न्यूनतम दर से कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉट्ररी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का चयन किया जाएगा।
21. शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नही रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
22. इसके अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी अद्योहस्ताक्षरी के कार्यलय में सर्म्पक करके प्राप्त किया जा सकता है।

(हस्ताक्षर) ..03.2026
कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, भागलपुर।

पत्रांक–................/ भागलपुर   दिनांक– ..../

प्रतिलिपि – मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) अंचल, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, भागलपुर।

पत्रांक–111/ भागलपुर,   dिनांक– 24/03/2026/

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु समर्पित किया जाता है।

24.03.2026
कार्यपालक अभियंता
गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन)
प्रमंडल, भागलपुर।